भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **1129**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 2021/12 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है।

नैनो डीएपी का उत्पादन

1129. **श्री राजा अमरेश्वर नाईक:**
डॉ जयंत कुमार राय:
श्री भोला सिंह:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डॉ. सुकांत मजूमदार:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए नैनो डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में नैनो डीएपी का फसलों में उपयोग पर भारतीय किसान उर्वरक सहकारिता लिमिटेड द्वारा की गई जांच का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उर्वरक के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

(मनसुख मांडविया)

(क): जी, नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): इफको ने सूचित किया है कि उन्होंने राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) के तहत 20 राज्यों के 34 स्थानों में 10 फसलों पर नैनो डीएपी अनुसंधान परीक्षण संचालित किये हैं। तथापि, इन परीक्षणों के परिणाम मूल्यांकन हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नैनो यूरिया की विशिष्टताओं को अधिसूचित किया है और मेसर्स इफको को दिनांक 24 फरवरी, 2021 की अधिसूचना के द्वारा नैनो यूरिया का विनिर्माण करने की अनुमति दी गई है।

इफको ने गुजरात में अपनी कलोल इकाई में नैनो यूरिया (तरल) उर्वरकों की 1,50,000 बोतल प्रतिदिन (500 एमएल आकार) की उत्पादन क्षमता के साथ विश्व का पहला विनिर्माण केन्द्र स्थापित किया है और इसका व्यावसायिक उत्पादन 01 अगस्त, 2021 से शुरू हो गया है। 27 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार कलोल में स्थित इफको नैनो उर्वरक संयंत्र में नैनो यूरिया (तरल) उर्वरक की 1,15,21,789 बोतलों (500 एमएल आकार) का उत्पादन किया गया है।

(घ): भारत सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को आसान बनाने और नए संयंत्रों की स्थापना/विद्यमान संयंत्रों का पुनरुद्धार करके यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 लागू की। इस नीति के तहत, मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) और रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) ने क्रमश: पानागढ़-पश्चिम बंगाल, गड़ेपान-राजस्थान (गड़ेपान-III) और रामागुण्डम-तेलंगाना में 12.7 लाख मी.टन प्रतिवर्ष (एलएमटीपीए) प्रत्येक के नए यूरिया संयंत्र स्थापित किये हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईपी-2012 के तहत फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की दो बंद पड़ी इकाइयों नामत: गोरखपुर और सिंदरी तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी में बंद पड़ी 01 इकाई का 12.7 एलएमटीपीए प्रत्येक क्षमता के साथ पुनरूद्धार करने की सुविधा प्रदान की गई है। 12.7 एलएमटीपीए के एक नये यूरिया संयंत्र की स्थापना के माध्यम से एफसीआईएल की तलचर इकाई के पुनरुद्धार के लिए एक विशिष्ट नीति अधिसूचित की गई है। मंत्रिमंडल द्वारा बीवीएफसीएल के विद्यमान परिसर में 8.646 एलएमटीपीए क्षमता के नए यूरिया संयंत्र की स्थापना करने को अनुमोदन दिया गया।

भारत सरकार ने विद्यमान 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों हेतु नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करना; यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना; और सरकार पर राजसहायता भार को तर्कसंगत बनाना है। एनयूपी-2015 में पुन:आकलित क्षमता (आरएसी) से इतर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के प्रावधान की भी अभिकल्पना है जिसके फलस्वरूप वर्ष 2014-15 के दौरान यूरिया उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है।

पीएण्डके उर्वरकों के मामले में, भारत वर्तमान में फास्फेट के संबंध में कच्चे माल अथवा तैयार उर्वरक किसी भी मामले में 90% तथा पोटाश के मामले में 100% आयात पर निर्भर है। तथापि, भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

I. **दीर्घकालिक करार:**

1. 2022 में डीएपी/एनपीके की आपूर्ति हेतु चार भारतीय पीएसयूज तथा रूसी कंपनी के बीच एक एग्रीमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. विभिन्न देशों से देश में डीएपी तथा इसके कच्चे माल की तर्कसंगत कीमतों पर नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रोडमैप तैयार है जोकि एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

II. **किए गए अन्य प्रयास**

1. उर्वरक विभाग ने मध्य भारत एग्रो प्रॉडक्ट लिमिटेड यूनिट-II, बांदा सागर, मध्य प्रदेश को प्रतिवर्ष 1,20,000 मीट्रिक टन के उत्पादन की अनुमति प्रदान की है।

2. जहां तक भारत में डीएपी और अन्य उर्वरकों के लिए कच्चे माल हेतु खनिजों की तलाश करने का संबंध है, खान मंत्रालय, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ चर्चा की जा रही है।

3. दिनांक 13.10.2021 की अधिसूचना के माध्यम से एनबीएस स्कीम के तहत शीरे से निकाले गए पीडीएम अथवा पोटाश (0-0-14.5-0) को शामिल किया गया है।

****